न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–386/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00066)

01. खलील पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन,
02. तयुब पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन,
03. महमूद पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन,
04. अयूब पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन,
05. लियाकत पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन,
06. परवीन पुत्री स्व. श्री सरफुद्धीन, समस्त जाति चेजारान, निवासी ऑक्सफौर्ड अस्पताल के पीछे चुरू बाईपास सर्किल, वार्ड नम्बर 44, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. इम्तीयाज,
02. रूबीना,
03. इरसाद
04. इमरान समस्त पुत्री/पुत्रीगण स्व. राबीया पुत्री स्व. सरफुद्धीन जाति चेजारा निवासी वार्ड नम्बर 35, मौहल्ला चेजारान, तहसील व जिला झुन्झुनू मुख्त्यार श्री नेमीचन्द मांजू पुत्र तिलोकाराम, जाति जाट निवासी ग्राक भूरासर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
05. जैतुन पत्नी स्व. श्री सरफुद्धीन (फौत)
06. अनवर पुत्र स्व. श्री सरफुद्धीन (फौत)
07. जिवणी पुत्री स्व. श्री सरफुद्धीन,
08. खातुन पुत्री स्व0. श्री सरफुद्धीन, समस्त जाति चेजारान, निवासी ऑक्सफौर्ड अस्पताल के पीछे चुरू बाईपास सर्किल वार्ड नम्बर 44, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू
09. महेन्द्र पुत्र चुनाराम खेदड़, जाति जाट, निवासी खेदड़ों की ढाणी, बामलवास, तहसील व जिला झुन्झुनू।
10. आयुक्त नगर परिष्द, झुन्झुनू।
11. तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 17.05.016 (प्रकरण संख्या 48/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सरफुद्धीन की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1050, 1057, 1058 जिसके पुराने खसरा नम्बर 376, 377 थे की भूमि थी, उक्त भूमि आबादी के नजदीक होने के कारण कुछ भूमि सरफुद्धीन द्वारा व एवं उसके वारिसान द्वारा प्लॉट में अलग–अलग लोगों को विक्रय कर दी और क्रय करने वाले लोग उस पर मकानात बनाकर आबाद है तथा उक्त भूमि में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

बिजली पानी की लाईन व सड़क वगैरहा बन चुकी है तथा वर्तमान में उक्त भूमि नगर परिषद के वार्ड नम्बर 45 में आती है, वर्तमान में उक्त भूमि में से केवल रिहायश के लिये ही आवासीय भूखण्ड सरफुद्धीन के वारिसान के पास है, सरफूद्धीन के प्रत्येक वारिस ने एक–एक आवासीय भूखण्ड प्राप्त कर लिया था जिस पर काबिज भी है, जिस पर सरफुद्धीन के वारिसान का आपस में बंटवारा व हकत्याग लिखवाकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सरफुद्धीन की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 3470 दिनांक 15.01.005 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरित एवं आज्ञात्मक कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता राबीया अपना हिस्सा पहले ही प्राप्त कर चुकी थी जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने विक्रय इकरारनामा द्वारा जमीन को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेच चुके है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता व सरफुद्धीन की पुत्रियों ने आपस में बंटवारा कर अपने हक की भूमि प्राप्त कर, हकत्याग कर दिया उक्त तथ्य को छिपाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 प्राप्त किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेशकी गई थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अनवर की मृत्यु दिनांक 10.04.2015 को हो गई थी जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 19.01.2016 को पेश की गई है जो कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.0.2016 को नोटिस जारी किये गये जिसकी तामील कुलिन्दा ने यह रिपोर्ट की है कि अनवर घर पर मौजूद मिला नोटिस लेने से इन्कार किया, नोटिस की प्रति मय नकल उसके खुले मकान पर चस्पा कर दिया गया, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.016 अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के कोई नोटिस अपीलान्ट्स पर तामील नही हुऐ है बल्कि फर्जी तरीके से तामील करवाकर आदेश पारित करवाया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हुई थी, उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा उक्त देरी को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील जरिये मुख्त्यारआम नेमीचन्द पुत्र त्रिलोक राम के जरिये पेश की है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रूबीना पुत्री राबीया ने शपथ पत्र द्वारा उक्त तथ्य से इन्कार किया है कि मैने किसी को अपील पेश करने का अधिकार नही दिया था, मेरे भाई ने नेमीचन्द से सांठ–गांठ कर फर्जी तरीके से मुख्त्यारनामा बनाकर अपील पेश की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सरफू पुत्र गफुर की मृत्यु दिनांक 21.08.2004 को हो गई थी स्व0 सरफू की मृत्यु के पश्चात् पटवार हल्का द्वारा मृतक सरफू के वारिसान की विधिक जॉच नही कर नामान्तरकरण संख्या 3470 भरा गया जिसे तहसीलदार द्वारा भी बिना वारिसान की जॉच किये ही स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 3470 स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया, ना ही साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया एवं मौके की जांच करवाये बिना ही नामान्तरकरण दिनांक 15.01.2015 को स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता की पैतृक भूमि है जिसमें जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त होते है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों की बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य था। उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट् को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील जानकारी के अनुसार और नकल मिलने के अनुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब को क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के

सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न अनवर पुत्र सरफूद्धीन के मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर होता है कि अनवर की मृत्यु दिनांक 10.04.2015 को हुई है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अनवर को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संयोजित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 19.01.2016 को प्रस्तुत की गई है जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही थी, पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जैतुन की मृत्यु दिनांक दौराने अपील दिनांक 09. 03.2016 को हुई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मृत व्यक्यिों के कायम मुकामान की कार्यवाही किये बिना ही मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 को पारित किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के एवं प्रक्रिया के विपरित है इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 विधिक प्रावधानों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2016 को निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 3470 दिनांक 15.01.2005 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।